

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-240007
SG-DL-E-03112022-240007

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 330
No. 493]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944	[N. C. T. D. No. 330

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग आयुक्त कार्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

सं.एफ.133/सीआई/डीसीआई/सीईटीपी/2021/1860.—दिल्ली सामान्य अपषिष्ट उपचार संयंत्र अधिनियम, 2000 (2000 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी दिल्ली सामान्य अपषिष्ट उपचार संयंत्र नियमावली, 2001 की अनुसूची II में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

अनुसूची II में - औद्योगिक सम्पदाओं में विद्यमान समस्त इकाइयों की लागत आवंटन हेतु सूत्र", विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

सीईटीपी के परिचालन एवं अनुरक्षण की कुल लागत

X = {-----}

1.67 * A₀ + 1.0 * A_G + 0.67 * A_W + 0.15 * A_V

जहाँ,

X = किसी उद्योग द्वारा अधिकृत भूमि क्षेत्र के आधार पर प्रभार्य प्रति इकाई लागत (रु./m²)

A_G = उद्योगों की हरित श्रेणी वाली इकाइयों का कुल क्षेत्रफल

A_O = प्रदूषणकारी/ऑरेंज उद्योग वाली इकाइयों का कुल क्षेत्रफल

A_W = श्वेत/शुष्क उद्योगों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों वाली इकाइयों का कुल क्षेत्रफल

A_V = गतिविधि रहित /खाली भूखंडों/ अपशिष्ट प्रवाह रहित भूखंडों का कुल क्षेत्रफल

तदानुसार

गैर-प्रदूषणकारी/हरित औद्योगिक गतिविधि वाली इकाइयों हेतु दर = रु. X प्रति वर्ग मीटर।

प्रदूषणकारी/ऑरेंज उद्योग वाली इकाइयों हेतु दर = रु. 1.67 X

श्वेत/शुष्क इकाइयों और अन्य अधिभोगियों हेतु दर = रु. 0.67 X

औद्योगिक गतिविधि रहित खाली भूखंडों हेतु दर = रु. 0.15 X

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
निहारिका राय, आयुक्त सह सचिव, उद्योग

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd November, 2022

No. F. 133/CI/DCI/CETP/2021/1860.—In exercise of powers conferred by Section 26 of the Delhi Common Effluent Treatment Plants Act, 2000 (Delhi Act 7 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in Schedule II of the Delhi Common Effluent Treatment Plants Rules, 2001 with effect from THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTIFICATION IN THE Official Gazette: -

AMENDMENT

INSCHEDULEII "Formula for cost apportionment to all units existing in industrial estates", the existing entries shall be substituted by the following entries: -

$$X = \left\{ \frac{\text{Total cost of operations \& maintenance of CETP}}{1.67 * A_O + 1.0 * A_G + 0.67 * A_W + 0.15 * A_V} \right\}$$

Where,

X = Per unit cost chargeable based on land area occupied by an industry (Rs. /m²)

A_G = Total area of units having **Green** category of industries

A_O = Total area of units having **Polluting/Orange** industries

A_W = Total area of units having **White/Dry** industries/commercial establishments

A_V = Total Area of Plots with **No Activity/Vacant Plot/ No Effluent Discharge**

Accordingly,

Rate for units with Non-Polluting/Green Industrial Activity	= Rs. X per sqm.
Rate for units with Polluting/Orange Industries	= Rs. 1.67 X
Rate for White/Dry units and other occupiers	= Rs. 0.67 X
Rate for vacant plots with No Industrial Activity	= Rs. 0.15 X

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
NIHARIKA RAI, Secy. and Commissioner (Industries)